

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

गोपाल पिता लादू धाकड़ निवासी बहादुरपुरा का झोपड़ा

बनाम

राजू पिता छोदू धाकड़ निवासी बहादुरपुरा का झोपड़ा वगैरह

केसम् मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए.

मुकदमा नंबर 144/2024

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो हुकम की
तामील में जारी हुये

19-04-24

प्रार्थना पत्र सिगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ | प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया | प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में ग्राम बहादुरपुर का झोपड़ा प.ह. मनोहरपुरा आराजी सं. 81, 82, 86 कुल किता 03 रकबा 1.6200 हेक्टेयर भूमि स्थित है | अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ोसी है | अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावें | प्रार्थना पत्र की टाईड में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है |

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी | पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2073 से 2076 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है | प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है | ग्राम बहादुरपुर का झोपड़ा प.ह. मनोहरपुरा आराजी सं. 81, 82, 86 कुल किता 03 रकबा 1.6200 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक अमरगढ़ को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है | कमीश्नर फीस 1000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रुपये राजकोष में जमा करावे | पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें | पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें | तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं | पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें |

आदेश आज दिनांक 09/04/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया |

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक/रीडर/2024/144/2024

दिनांक- 09/04/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय- प्र.सं. 144 / 2024 अनवान गोपाल पिता लादू धाकड़ निवासी बहादुरपुरा का झोपड़ा बनाम राजू पिता छोटू धाकड़ निवासी बहादुरपुरा का झोपड़ा, श्रवण पिता छोटू धाकड़ निवासी बहादुरपुरा का झोपड़ा, ईश्वर पिता माता धाकड़ निवासी बहादुरपुरा का झोपड़ा, नन्दा पिता भैरू धाकड़ निवासी बहादुरपुरा का झोपड़ा, हेमराज पिता रामेश्वर धाकड़ निवासी बहादुरपुरा का झोपड़ा, जगदीश पिता खाना धाकड़ बहादुरपुरा का झोपड़ा, मदन पिता खाना धाकड़ निवासी बहादुरपुरा का झोपड़ा, रामलाल पिता खाना धाकड़ निवासी बहादुरपुरा का झोपड़ा, मोहन पिता भागीरथ धाकड़ निवासी बहादुरपुरा का झोपड़ा, सोराम पिता भागीरथ धाकड़ निवासी बहादुरपुरा का झोपड़ा, हीरा पिता मांगु पिता भागीरथ धाकड़ निवासी बहादुरपुरा का झोपड़ा, किशन पिता मांगु धाकड़ निवासी बहादुरपुरा का झोपड़ा, केसर पिता मांगु धाकड़ निवासी बहादुरपुरा का झोपड़ा, तहसीलदार जहाजपुर की पत्थरगढी की पालना करने बाबत ।

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम बहादुरपुर का झोपड़ा प.ह. मनोहरपुरा आराजी सं. 81, 82, 86 कुल कित्ता 03 रकबा 1.6200 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक अमरगढ को नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 1000 रूपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी

जहाजपुर जिला शाहपुरा